"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 नवम्बर 2010—कार्तिक 21, शक 1932

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2010

क्रमांक ई-1-1/2010/एक/2.—श्री भीम सिंह, भा.प्र.से. (2008) अनुविभागीय अधिकारी, प्रतापपुर, जिला-सरगुजा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अनुविभागीय अधिकारी, पेण्ड्रा, जिला-बिलासपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 अक्टूबर 2010

क्रमांक ई-01-01/2010/एक/2.—श्री बी. एल. तिवारी, भा.प्र.से. (1996) प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विपणन संघ मर्यादित, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संचालक, भू-अभिलेख के पद पर पदस्थ किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

श्री तिवारी द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री एस. के. कुजूर, भा.प्र.से. (1986) केवल आयुक्त, भू-अभिलेख के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

2. श्री अविनाश चंपावत, भा.प्र.से. (2003) उप सचिव, वित्त, वाणिज्यिक कर विभाग तथा पदेन अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य विपणन संघ मर्यादित, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2010

क्रमांक ई-01-01/2010/एक/2.—श्री एस. पी. शोरी, भा.प्र.से. (2000) संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग एवं संचालक, संपदा को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक केवल संचालक, संपदा के प्रभार से मुक्त किया जाता है.

2. श्री एन. के. शुक्ला, रा.प्र.से., संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संचालक, संपदा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 25 अक्टूबर 2010

क्रमांक एफ 1-4/2010/1/5.—राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-2/2009/1/5 दिनांक 23 अक्टूबर, 2009 के अनुक्रम में सोमवार, दिनांक 01 नवम्बर, 2010, को "छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस" की दसवीं वर्षगांठ के उपलक्ष में सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में सामान्य अवकाश घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2010

क्रमांक ई 7-09/2008/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 04-05-2010 द्वारा सुश्री शम्मी आबिदी (भा.प्र.से.), सहायक कलेक्टर, जिला-धमतरी (छ. ग.) को दिनांक 10-05-2010 से 04-11-2010 तक (179 दिवस) का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया गया है. विभागीय ज्ञाप क्र. ई 4-04/2008/1/2, दिनांक 13-09-2010 द्वारा दिनांक 27-09-2010 से 03-10-2010 तक बिलासपुर में आयोजित "सर्वे प्रशिक्षण" में भाग लेने हेतु सुश्री आबिदी को निर्देशित किया गया, जिसके परिपालन में उनके द्वारा दिनांक 24-09-2010 को कार्य पर उपस्थित होकर उक्त प्रशिक्षण में भाग लिया गया.

2. अत: उक्त प्रसूति अवकाश स्वीकृति आदेश दिनांक 04-05-2010 में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 10-05-10 से 23-09-2010 तक एवं दिनांक 04-10-2010 से 15-11-2010 तक (कुल 180 दिवस) का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

3. आदेश दिनांक 04-05-2010 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 अक्टूबर 2010

क्रमांक एफ 1-104/2010/सत्रह/एक.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, उप संचालक के पद पर पदोन्नति हेतु छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1988 की अनुसूची में अनुभव की अर्हता 03 वर्ष में एक बार के लिए 01 वर्ष छूट प्रदान करता है.

2. उक्त छूट एक बार की पदोन्नति के लिए होगी. भविष्य में पदोन्नति हेतु इसे पूर्वोदाहरण नहीं माना जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, अवर सचिव.

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 अक्टूबर 2010

क्रमांक 5806/1405/18/2010.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 317-अ सहपठित धारा 433 तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 355 एवं 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 5062/1405/18/2010 दिनांक 24-09-2010 की हिन्दी प्रति में निम्नानुसार शुद्धि पत्र जारी किया जाता है :—

शुद्धिपत्र

उक्त अधिसूचना के अनुक्रमांक (1) में शब्द "छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम" के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़ नगर पालिका" प्रतिस्थापित किया जाय.

2. यह संशोधन दिनांक 25-09-2010 से प्रभावशील माना जायेगा.

No. 5806/1405/18/2010.—The following corrigendum is being issued in respect of English version of notification No. 5062/1405/18/2010 dated 24-09-2010 issued by the State Government hereby in exercise of the powers conferred by section 317-A read with section 433 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and section 355 and 356 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) :—

CORRIGENDUM

In S. No (1) of said notification in place of the words "Chhattisgarh Municipal Corporation" the words "Chhattisgarh Municipalities" shall be substituted.

2. This amendment shall be effect ve from 25 September 2010.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप-सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2010

क्रमांक 1172/184/2010/13/1.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री सुबोध कुमार सिंह, प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, रायपुर के 09 दिवस अर्जित अवकाश पर रहने के कारण उनके अवकाश अवधि में श्री जी. एस. कलसी, प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य विद्युत ट्रांसमिशन कंपनी मर्यादित को अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, रायपुर का अतिरिक्त कार्यभार अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संपादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमन कुमार सिंह, सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2010

क्रमांक एफ 10-28/2010/16.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की धारा 1 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के परामर्श से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुये, अधिनियम के प्रावधनों का इसके साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट, स्थापनों के वर्गों पर विस्तार, शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अथवा उसके पश्चात् करने की मंशा की सूचना दी जाती है.

1. इस अधिसूचना के संबंध में किसी भी व्यक्ति से कोई आपत्ति अथवा सुझाव उपरोक्त समयावधि में प्राप्त होने पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

2. आपत्तियां अथवा सुझाव, प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर को प्रेषित किये जा सकते हैं.

अनुसूची

संस्थानों का विवरण (1)	क्षेत्र जहां संस्थान स्थित हैं (2)
निम्नलिखित संस्थान जिनमें 10 अथवा अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं अथवा पिछले 12 महिने के किसी भी दिन कार्यरत रहें हों, जैसे :— 1. दुकान 2. होटल 3. रेस्तरा 4. सड़क मोटर परिवहन स्थापन 5. सिनेमा पूर्वदर्शन रंगशाला सहित 6. कामकाजी पत्रकार (सेवा की शर्तें) तथा प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम, 1955 (1955 का 45) की धारा 2 (घ) में यथा परिभाषित समाचार पत्र स्थापन.	समस्त क्षेत्रों जिनमें कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के प्रावधान, अधिनियम की धारा 1 (3) के अंतर्गत पहले से प्रवृत्त किये जा चुके हैं.

---

(1)	(2)
7. शैक्षणिक संस्थायें (लोक, निजी, अनुदान प्राप्त अथवा आंशिक अनुदान प्राप्त) जिनका संचालन व्यक्तियों, न्यासधारियों, समितियों अथवा अन्य संस्थाओं द्वारा किया जाता है.	

No. F 10-28/2010/16.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (5) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948, in supersession of previous notifications on the subject, the Government of Chhattisgarh in Consultation with the Employees' State Insurance corporation hereby gives notice of its Intention to extend the provisions of the Act to the classes of establishments specified in the schedule annexed hereto, on or after one month from the date of publication in the official Gazette.

1. Any objection or suggesion, which may be received from any person in respect of the said notification within the period specified above, will be considered by the State Government.

2. The objections and suggestion may be addressed to principal Secretary, Deptt. Of Labour, Govt. of Chhattisgarh, Mantralaya Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur.

SCHEDULE

Description of establishments (1)	Areas in which the establishment are situated (2)
The following establishments whereon ten or more persons are employed, or were employed on any day of the preceding twelve months, namely :— (i) Shops; (ii) Hotels; (iii) Restaurants; (iv) Road Motor Transport establishments; (v) Cinemas including preview theatres; (vi) Newspaper establishments as defined in Section 2-(d) of the Working Journalists (Condition of service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (45 of 1955). (vii) Educational institutions (Including public, private, aided or partially aided) run by individuals trustees, societies or other organization;	All areas where the provision of the ESI Act, 1948 have already been brought into force under Sec. 1 (3) of the Act.

रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2010

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-59/2007/16.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7-9-2010 द्वारा बाल श्रमिकों के नियोजन के संबंध में समिति का गठन किया गया था. उक्त अधिसूचना की कंडिका-9 में उपश्रमायुक्त को सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है.

राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए कंडिका-9 में उपश्रमायुक्त के स्थान पर श्रमायुक्त को सदस्य सचिव/संयोजक मनोनीत करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2010

क्रमांक एफ 1-66/2003/16.—राज्य शसन एतद्द्वारा श्री अशोक कुमार शर्मा, प्रवर श्रेणी, पीठासीन अधिकारी को सदस्य जज के पद पर उनकी तदर्थ पदोन्नति के कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वेतनमान रुपये 12,000-375-16,500 में नियमित करता है.

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त पद पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी नियमों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. स्वस्तिक, अवर सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2010

क्रमांक/3891/एफ-8-4/2009-10/रबी/14-2.—भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 13011/15/99/Credit-II दिनांक 16 जुलाई 1999 तथा प्रशासनिक अनुमोदन क्रमांक 13011/04/2004/Credit-II दिनांक 11-08-2010 का संदर्भ लेते हुए छत्तीसगढ़ शासन सहर्ष सूचित करता है कि रबी 2010-11 मौसम में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना संपूर्ण प्रदेश में कार्यान्वित की जावेगी.

2. निम्न फसलों को अधिसूचित किया गया है :—
1. गेहूं सिंचित 2. गेहूं असिंचित 3. चना 4. राई-सरसों 5. अलसी 6. आलू

3. **अधिसूचित क्षेत्र :**— सभी फसलों के लिये अधिसूचित क्षेत्र तहसील होगा. सभी फसलों के लिये अधिसूचित क्षेत्रों के जिलों के नाम एवं तहसील परिशिष्ट-1 में दर्शित है.

4. इस योजना में ऋणी किसान, अऋणी किसान, बटाईदार और काश्तकार कृषक भी भाग ले सकते हैं.

5. ऋणी किसान अनिवार्य रूप से और अऋणी किसान ऐच्छिक रूप से इस योजना में भाग ले सकते हैं.

6. 1 अक्टूबर, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक अधिसूचित फसलों के लिये ली गई ऋण राशि रबी 2010-11 मौसम के लिये कवर किया जायेगा.

7. अऋणी किसान और लिये गये ऋण राशि से उच्च बीमा चाहने वाले ऋणी किसान के लिये बीमा करने की अंतिम तिथि 31-12-2010 होगी.

8. जिला सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक एवं व्यवसायिक बैंक से अधिसूचित फसलों की ऋण राशि का बीमा इस मौसम में किया जायेगा.

9. संबंधित बैंकों का नोडल शाखा नीचे दिये गये समय सारणी के अनुसार घोषणा-पत्र एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमि., क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित करेंगे.

समय सारणीं

माह के वितरित ऋण	घोषणा-पत्र स्वीकार किये जाने की सीमा
अक्टूबर, 2010	30 नवम्बर, 2010
नवम्बर, 2010	31 दिसम्बर, 2010
दिसम्बर, 2010	31 जनवरी, 2011
जनवरी, 2011	28 फरवरी, 2011
फरवरी, 2011	31 मार्च, 2011
मार्च, 2011	30 अप्रैल, 2011 (मौसम की अंतिम तिथि)

10. शासन द्वारा उपज के आंकड़े भेजने की अंतिम तिथि 31-07-2011 होगी.

11. ऋणी किसान के लिये बीमित राशि लिये गये ऋण राशि तक व इसके अतिरिक्त निर्धारित उपज के मूल्य तक और इससे अधिक 150% औसत उपज के मूल्य तक होंगे. लिये गये ऋण राशि और निर्धारित उपज के मूल्य तक सामान्य दर लागू होगा और उससे अधिक राशि के लिये वास्तविक दर लागू होगा. अऋणी किसान के लिये बीमित राशि निर्धारित उपज के मूल्य तक सामान्य दर लागू होगा एवं उससे ज्यादा 150% औसत उपज के मूल्य तक वास्तविक दर लागू होगा.

12. **प्रीमियम में अनुदान :—** ऋणी एवं अऋणी लघु एवं सीमांत किसानों को प्रीमियम में 10% अनुदान की पात्रता है और लघु एवं सीमांत किसान के लिये समस्त बैंक के नोडल कार्यालय को प्रीमियम की 90% राशि प्रेषित करनी होगी.

देय प्रीमियम के लिये मांग विकर्ष सहित घोषणा-पत्र एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमि., रायपुर को भेजना होगा.

13. **बैंक सर्विस चार्जेस :—** सभी बैंकों को ऋणी एवं अऋणी किसानों का बीमा करने के लिये कुल प्रीमियम राशि 2.5% बैंक सर्विस चार्जेस मौसम समाप्ति के पश्चात् प्रदान किया जायेगा.

14. **दावा गणना :—** दावा की गणना आयुक्त भू-अभिलेख, रायपुर द्वारा अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसलों के लिये फसल कटाई प्रयोग पर आधारित उपज दर के आंकड़ों से किया जायेगा. शासन द्वारा या अन्य संस्थाओं द्वारा अनावारी, सूखा, बाढ़, अकाल घोषित होने पर दावा देय नहीं है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत रबी 2010-11 मौसम में अधिसूचित तहसील एवं फसलों की सूची

क्र. (1)	फसलों का नाम (2)	जिलों की संख्या (3)	अधिसूचित किये जाने वाले तहसीलों की संख्या (4)
1.	गेहूं सिंचित	10	61
2.	गेहूं असिंचित	04	24
3.	चना	07	33
4.	अलसी	10	46
5.	राई-सरसों	11	45
6.	आलू	02	06

परिशिष्ट-1

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत रबी 2010-11 मौसम में अधिसूचित तहसील एवं फसलों की सूची

फसल-गेहूं सिंचित

जिला (1)	परिभाषित तहसीलें (2)
महासमुन्द	1. महासमुन्द
	2. बागबाहरा
दुर्ग	1. दुर्ग
	2. पाटन
	3. धमधा
	4. बेमेतरा
	5. बेरला
	6. साजा
	7. गुण्डरदेही
	8. नवागढ़
कवर्धा (कबीरधाम)	1. बोडला
	2. कवर्धा
	3. सहसपुर लोहारा
	4. पण्डरिया
बिलासपुर	1. बिलासपुर
	2. कोटा
	3. बिल्हा
	4. मस्तूरी
	5. तखतपुर
	6. पेण्ड्रा रोड
	7. मरवाही
	8. मुंगेली
	9. पथरिया
	10. लोरमी
जांजगीर-चांपा	1. जांजगीर
	2. सक्ती
	3. अकलतरा
	4. बलौदा
रायगढ़	1. रायगढ़
	2. पुसौर
	3. खरसिया

(1)	(2)
सरगुजा	1. अंबिकापुर
	2. उदयपुर
	3. राज़पुर
	4. लुण्ड्रा
	5. सीतापुर
	6. मैनपाट
	7. सूरजपुर
	8. प्रतापपुर
	9. वाड्रफनगर
	10. शंकरगढ़
	11. कुसमी
	12. लखनपुर
	13. बतौली
	14. ओड़गी
	15. भैयाथान
	16. रामानुजगंज
	17. रामचन्द्रपुर
	18. बलरामपुर
कोरिया	1. बैकुण्ठपुर
	2. मनेन्द्रगढ़
	3. खड़गवां
	4. भरतपुर
जशपुर	1. बगीचा
	2. कांसाबेल
राजनांदगांव	1. राजनांदगांव
	2. डोंगरगांव
	3. डोंगरगढ़
	4. खैरागढ़
	5. छुईखदान
	6. छुरिया

फसल-गेहूं असिंचित

दुर्ग	1. दुर्ग
	2. पाटन
	3. धमधा
	4. बेमेतरा
	5. बेरला
	6. साजा
	7. गुण्डरदेही
	8. नवागढ़
	9. डौण्डी लोहारा

(1)	(2)
कवर्धा (कबीरधाम)	1. बोडला
	2. कवर्धा
	3. सहसपुर लोहारा
	4. पण्डरिया
बिलासपुर	1. बिलासपुर
	2. पेण्ड्रा रोड
	3. मरवाही
	4. मुंगेली
	5. पथरिया
	6. लोरमी
राजनांदगांव	1. राजनांदगांव
	2. डोंगरगढ़
	3. खैरागढ़
	4. छुईखदान
	5. छुरिया
	फसल-चना
धमतरी	1. धमतरी
	2. कुरूद
	3. नगरी
दुर्ग	1. दुर्ग
	2. पाटन
	3. धमधा
	4. बेमेतरा
	5. बेरला
	6. साजा
	7. गुण्डरदेही
	8. नवागढ़
	9. बालोद
	10. गुरुर
	11. डौण्डी लोहारा
कवर्धा (क़बीरधाम)	1. बोडला
	2. कवर्धा
	3. सहसपुर लोहारा
	4. पण्डरिया
बिलासपुर	1. तखतपुर
	2. पेण्ड्रा रोड
	3. मरवाही
	4. मुंगेली
	5. पथरिया
	6. लोरमी

(1)	(2)
सरगुजा	1. अंबिकापुर
	2. लखनपुर
जशपुर	1. पत्थलगांव
राजनांदागंव	1. राजनांदगांव
	2. डोंगरगांव
	3. डोंगरगढ़
	4. खैरागढ़
	5. छुईखदान
	6. छुरिया

फसल-अलसी

धमतरी	1. कुरुद
	2. धमतरी
	3. नगरी
	4. मगरलोड
दुर्ग	1. पाटन
	2. गुण्डरदेही
	3. बेमेतरा
	4. बेरला
	5. नवागढ़
	6. डौण्डीलोहारा
	7. बालोद
	8. गुरुर
	9. डौण्डी
कवर्धा (कबीरधाम)	1. पण्डरिया
बिलासपुर	1. मुंगेली
	2. पेण्ड्रा रोड
	3. मरवाही
	4. कोटा
	5. पथरिया
जांजगीर-चांपा	1. जांजगीर
	2. चांपा
	3. अकलतरा
	4. बलौदा
	5. सक्ती
सरगुजा	1. अंबिकापुर
	2. लखनपुर
	3. राजपुर

(1)	(2)
	4. रामानुजगंज
	5. प्रतापपुर
	6. रामचन्द्रपुर
	7. वाड्रफनगर
	8. लुण्ड्रा
	9. बलरामपुर
कोरिया	1. बैकुण्ठपुर
जशपुर	1. पत्थलगांव
राजनांदगांव	1. राजनांदगांव
	2. डोंगरगांव
	3. डोंगरगढ़
	4. खैरागढ़
	5. छुईखदान
	6. छुरिया
	7. मोहला
	8. अंबागढ़-चौकी
कोरबा	**1. करतला**
	2. पाली
	3. पोड़ी-उपरोड़ा

फसल-राई-सरसों

धमतरी	**1. कुरुद**
	2. धमतरी
	3. मगरलोड
कवर्धा (कबीरधाम)	**1. पण्डरिया**
	2. बोडला
बिलासपुर	**1. पेण्ड्रा रोड**
	2. मरवाही
	3. कोटा
	4. पेण्ड्रा
सरगुजा	1. अंबिकापुर
	2. राजपुर
	3. लुण्ड्रा
	4. लखनपुर
	5. उदयपुर
	6. प्रतापपुर
	7. बतौली

(1)	(2)
	8. मैनपाट
	9. ओड़गी
	10. रामानुजगंज
	11. प्रेमनगर
	12. रामचन्द्रपुर
	13. बलरामपुर
	14. वाड्रफनगर
	15. कुसमी
	16. शंकरगढ़
	17. सीतापुर
कोरिया	1. बैकुण्ठपुर
	2. सोनहत
	3. मनेन्द्रगढ़
	4. भरतपुर
	5. खड़गवां
जशपुर	1. मनोरा
	2. बगीचा
बस्तर	1. बास्तानार
	2. कोण्डागांव
	3. दरभा
कांकेर	1. अंतागढ़
	2. पखांजुर
दंतेवाड़ा	1. दंतेवाड़ा
	2. कटेकल्याण
	3. कुआकुण्डा
कोरबा	1. पोड़ी उपरोड़ा
	2. करतला
	3. पाली
रायगढ़	1. लैलूंगा
	फसल-आलू
सरगुजा	1. अंबिकापुर
	2. लखनपुर
	3. मैनपाट
	4. सूरजपुर
	5. भैयाथान
जशपुर	1. बगीचा

वाणिज्यिक एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2010

क्रमांक एफ 8-2/2007/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा एन.टी.पी.सी., कोरबा के बॉयलर क्रमांक एम.पी./3569 को दिनांक 24-09-2010 से 31-03-2011 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से अतिरिक्त छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

रायपुर, दिनांक 25 अक्टूबर 2010

क्रमांक एफ 8-6/2007/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित कोरबा के बॉयलरों को नीचे दर्शाये अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

क्रमांक	बॉयलर क्रमांक	छूट की अवधि
1.	एम.पी./3198	दिनांक 01-10-2010 से 30-11-2010 तक
2.	एम.पी./3656	दिनांक 05-09-2010 से 31-12-2010 तक
3.	एम.पी./0358	दिनांक 01-10-2010 से 31-12-2010 तक

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

रायपुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2010

क्रमांक एफ 8-1/2010/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा मे. एन.टी.पी.सी. लिमि., सीपत, बिलासपुर के बॉयलर क्रमांक सी.जी./269 को दिनांक 09-10-2010 से 08-11-2010 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. डी. दोहरे, अवर सचिव.

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2010

क्रमांक एफ 7-13/2010/12.—खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 74 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित तालिका के कालम (5) एवं (6) में उल्लेखित देशांश एवं अक्षांश के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में से इस अधिसूचना जारी होने की तारीख के पूर्व से अनुशंसित तथा स्वीकृत पीएल/एमएल क्षेत्रों को छोड़कर शेष क्षेत्रों को संचालनालय भौमिकी तथा

खनिकर्म छत्तीसगढ़, रायपुर के द्वारा अथवा उसके माध्यम से खनिज लौह अयस्क व सहयोगी खनिजों के सर्वेक्षण/पूर्वेक्षण के लिए आरक्षित करती है :—

तालिका

क्र.	वनमंडल एवं जिला	रेंज	टोपोशीट नं.	देशांश	अक्षांश
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	भानुप्रतापपुर/कांकेर एवं नारायणपुर	अंतागढ़, मरदा, तुमापाल, तरोकी	65 E/1	81°00' 00" 81°10' 00"	19°55' 00" 20°00' 00"
2.	दंतेवाड़ा	बैलाडीला, अलनार, तनेली, अछेली	65 F/2& F/6	81°10' 00" 81°20' 00"	18°30' 00" 18°35' 00"

2. उक्त अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 05 वर्ष के लिए प्रभावशील रहेगी. खनिज रियायत नियम 1960 के नियम 74 (2) के उपबंध के अधीन इस अधिसूचना के प्रभावशील रहने पर खनिज रियायतें स्वीकृत नहीं की जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2010

क्रमांक एफ 7-13/2010/12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 7-13/2010/12, दिनांक 23-10-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 23rd October 2010

No. F 7-13/2010/12.—In exercise of the powers conferred by sub-Rule (1) of Rule 74 of Mineral Concession Rule, 1960 the State Government hereby, reserve areas fall within the longitudes and latitudes mentioned in column (5) and (6), the following table for survey/prospecting of Iron Ore and other minerals by the Directorate of Geology & Mining Chhattisgarh, Raipur or through it, leaving the recommended and sanctioned PL/ML areas before the date of this notification.

TABLE

S. N.	Forest Division and District	Range	Toposheet No.	Langitude	Latitude
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Bhanupratappur/ Kanker & Narayanpur	Antagarh, Marda,	65 E/1	81°00' 00" 81°10' 00"	19°55' 00" 20°00' 00"

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tumapal, Taroki			
2.	Dantewara	Bailadila Alnar, Taneli, Acheli	65 F/2 & F/6	81°10' 00" 81°20' 00"	18°30' 00" 18°35' 00"

2. The Notification shall remain in force for 5 years from the date of publication in the official gazette. No mineral concession will be sanctioned under the provision of rule 74 (2) of Mineral Concession Rule 1960, on the effect of this notification.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. MISHRA, Deputy Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 7 अक्टूबर 2010

क्रमांक/9700/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	धामनसरा प. ह. नं. 40	0.21	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	शिवनाथ नदी में धामनसरा बाढ़ नियंत्रण तट बंधन योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 21 अक्टूबर 2010

क्रमांक/10138/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	लतमर्रा प. ह. नं. 01	3.00	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	लोहझरी जलाशय के डुबान में अर्जित भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 अक्टूबर 2010

क्रमांक/10288/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	नादिया प. ह. नं. 10	0.15	कार्यपालन अभियंता, सुतिया पाट परियोजना संभाग, सहसपुर लोहारा.	कर्रानाला बैराज परियोजना के अंतर्गत नादिया वितरक नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2010

क्रमांक 18/अ-82/2009-10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खांने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	मंगला	0.078	आयुक्त, नगर पालिक निगम, बिलासपुर.	अण्डर ग्राउण्ड सीवरेज सिस्टम निर्माण हेतु. (S.P.S.)

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2010

क्रमांक 08/अ-82/09-10/अ.वि.अ./10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खांने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	पहाड़बछाली प. ह. नं. 04	10.17	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	डाडबछाली जलाशय नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2010

क्रमांक/क/वा./भू. अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./19/अ-82/वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-टोर, प. ह. नं. 94/15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.746 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	394/1	0.371
	397/7	0.061
	397/8	0.028
	397/9	0.053
	397/10	0.032
	397/4	0.093
	394/2	0.108
योग	7	0.746

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तर्रा पथरी मार्ग पर कोलहान नाला पर पुल निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2010

क्रमांक/क/वा./भू. अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./20/अ-82/वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-तर्रा, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.048 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	1/1, 1/2	0.048
	3	0.212
	4	0.013
	6	0.158
	7/1, 7/2, 7/3	0.112
	9	0.030
	20/4	0.061
	23	0.108
	20/1	0.112
	20/2	0.134
	8	0.060
योग	11	1.048

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तर्रा पथरी मार्ग पर कोलहान नाला पर पुल निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 25 अक्टूबर 2010

क्रमांक/10289/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-सहसपुर, प. ह. नं. 05
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.51 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	484	0.23
	486/1	0.45
	488	0.83
योग		1.51

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पुरेना जलाशय डुबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 अक्टूबर 2010

क्रमांक/10290/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-गोपालपुर, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.50 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	729/1	0.25
	225/1	0.25
योग		0.50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रूसे जलाशय नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 अक्टूबर 2010

क्रमांक/10291/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अं. चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-मोंगरा, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.263 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
146/2	0.275

(1)	(2)
163/3	0.529
258/1	0.162
258/14	0.182
258/15	0.247
121/1	0.677
499/1	पक्का कुआं
199/6	0.081
204/1	0.044
216/2	पक्का कुआं
125	0.077
123/1	0.024
128/3	0.020
129/2	0.100
322	0.061
476/3	0.081
477/4	0.060
376/23	0.073
474/4	0.030
443/15	0.129
348/2	0.104
443/7	0.284
113/1	0.040
319	0.116
443/1	0.196
127	0.092
320	0.100
348/4	0.075
126	0.104
331	0.040
330/1	0.060
351	0.100
315	0.020
451/21	0.080
योग 34	4.263

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बैराज परियोजना के डुबान एवं बायीं तट मुख्य/लघु नहर निर्माण हेतु अनुपूरक.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 28 अक्टूबर 2010

क्रमांक/10421/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-सांगिनकछार, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.726 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
541/7	0.332
527/3	0.142
541/8	0.445
541/6	0.328
548/3	0.162
537/26	0.073
537/29	0.040
537/32	0.118
540/3	0.101
537/28	0.069
540/5	0.162
537/31	0.275
537/30	0.170
537/27	0.077
540/4	0.097
362/2	0.020
362/22	0.138
285/4	0.334
285/13	0.101
285/10	0.101
285/11	0.178
285/14	0.061
285/8	0.214
285/12	0.356
285/9	0.142
285/6	0.247

(1)	(2)
285/1	0.142
293/4	0.194
297/7	0.012
273/5	0.922
441/4	0.162
441/2	0.125
285/3	0.121
285/2	0.162
286/1-2	0.486
552/1	0.619
273/6	0.222
273/7	0.057
297/6	0.012
297/9	0.012
311/1	0.300
273/14	0.138
273/18	0.141
297/11	0.061
297/10	0.012
362/21	0.174
445/2	0.219
269/2	0.028
269/3	0.032
362/17	0.142
362/19	0.057
362/18	0.647
362/24	0.044
योग 53	9.726

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के अन्तर्गत डुबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 28 अक्टूबर 2010

क्रमांक/10422/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-आसरा, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.087 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1254/13	0.809
1345/1	2.128
1343/9	0.186
1331/1	1.315
1360/1	0.021
1360/3	0.178
1310/1	0.700
1314/1	0.190
1291/10	0.030
1170/3	0.487
1186/3	0.487
1166/2	0.481
1167/7	0.160
1167/5	0.085
1167/6	0.057
888/2	0.032
886	मकान एवं कुआं
889/1, 2	मकान
888/1	0.069
186/1	0.076
1365	0.113
1149/3	0.151
1149/4	0.170
1146/1	0.162
योग 24	8.087

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के अन्तर्गत डुबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2010

क्रमांक 302/दो-2-40/2001.—श्री रघुबीर सिंह, न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, अम्बिकापुर दिनांक 31-01-2010 की अपरान्ह में सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश 240 (दो सौ चालीस) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06 दिनांक 31-10-2006, पत्र क्रमांक 4590/डी-331/21-ब/छ. ग./09 दिनांक 08-07-2009 सहपठित पत्र क्रमांक 4082/21-ब/छ. ग./2010 दिनांक 01-05-2010 में दिये गये स्पष्टीकरण (Clarification) के आलोक में, प्रदान की जाती है.

माननीय पोर्टफोलियों न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
अरविन्द कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार जनरल.